न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 49/2012/223 आरटीए

धर्मसिंह उर्फ गुरमेलसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख (प्रवासी भारतीय) वर्तमान आदि Ammerudhillinga No. 41, House No. 31, 0959, OSLO, NORWAY, वर्तमान अस्थाई प्रवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. जसवीर कौर पत्नि गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लखवीर सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. नगेन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——असल रेस्पो0/वादीगण

4. गुरदेवसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. हरजिन्द्रसिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. परमजीत कौर पत्नि गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. अमनदीप सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. हरप्रीत सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

9. बलजीत कौर पत्नि बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

10. प्रतापसिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व 8

11. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 252/2010 अनवानी जसवीर कौर बनाम गुरदेवसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11

निर्णय दिनांक 06.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए पेश कर चक 1 जीजीआर, 8 जीजीआर, 10 जीजीआर व चक 4 टीएलडब्ल्यू व 5 टीडब्ल्यू की संयुक्त कृषि भूमि को पैतृक सम्पति होना ब्यान करते हुए घरूबंटवारा का आधार लेते हुये खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादपत्र डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलांट प्रवासी भारतीय है तथा विदेश मे निवास करता है। अपीलांट वर्तमान मे नार्वे मे स्थाई रूप से निवास कर रहा रहै। दिनांक 19.08.2010 से लेकर दिनांक 13.09.2010 तक अपीलांट का भारत मे प्रवास नही रहा था। अपीलांट ने दिनांक 15.01.2010 से 03.02.2010 तक भारत मे प्रवास किया तत्पश्चात माता श्रीमति तेजकौर के अस्वस्थ होने पर दिनांक 27.04.2011 से 26.05.2011 तक भारत मे प्रवास किया। तदुपरांत दिनांक 27.07.2011 से दिनांक 11.08.2011 तक भारत मे प्रवास किया व अब दिनांक 07.02.2012 से भारत मे अपने गांव आया हुआ है। अपीलांट पर उक्त वादपत्र के कोई सम्मन तामील नही हुये। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने यह जानते हुए कि अपीलांट विदेश मे निवास करता है, वादपत्र मे अपीलांट का मिथ्या रूप से गलत पता दर्ज किया। अपीलांट ने उक्त वादपत्र मे सहदेव सारस्वत को अपना अधिवक्ता नियुक्त नही किया व ना ही दिनांक 09.09.2010 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कथित वकालतनामा व जवाबदावा पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर है। दिनांक 27.08.2010 अथवा 09.09.2010 को अपीलांट विदेश मे था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री पारित करने से पूर्व घरूबंटवारा के तथ्य के संबंध मे कोई जांच नही की व ना ही पत्रावली पर कथित घरूबंटवारा के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का प्रश्नगत खातो मे कुल 7.779 है0 हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज था जबकि अपीलाधीन डिक्री के अन्तर्गत रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को 14.168 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया गया है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है।अपीलांट की राजस्व रिकार्ड अनुसार 1.518 है0 भूमि दर्ज थी जबकि अपीलाधीन डिक्री के अन्तर्गत अपीलांट को मात्र 0.759 है0 का खातेदार घोषित किया गया है।अपीलाधीन डिक्री के अन्तर्गत मु0 तेजकौर के अधिकारो के संबंध मे कोई घोषणा नही है। इसी प्रकार रेस्पो0 सं. 4 गुरदेवसिंह पिता अपीलांट की राजस्व रिकार्ड अनुसार 2.530 है0 भूमि दर्ज है जबकि अपीलाधीन डिक्री के अन्तर्गत मात्र 0.759 है0 भूमि के खातेदार होने की घोषणा की गई है। अपीलाधीन डिक्री पारित करने से

पूर्व ना तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया व ना ही कथित बंटवारा की कोई जांच की। घरूबंटवारा के संबंध मे ना तो विशिष्ट किलो का उल्लेख किया व ना ही विशिष्ट भूमि का उल्लेख किया। कथित रूप से संयुक्त खातो म हिस्साकस्सी कम व बेशी करने का रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को अधिकार नही था। वादपत्र के अभिवचन व सार से यह वादपत्र खाता विभाजन का था तथा समस्त सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना एवं भू–धारक को पक्षकार बनाये बिना यह वादपत्र पोषनीय नही था।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वजो के नाम से दर्ज है जिनकी मृत्यु होने स्थिति मे अपीलांट व रेस्पो0 पैतृक वादग्रस्त भूमि के हकदार है तथा वादग्रस्त भूमि का काश्त की सुविधा के अनुसार बंटवारा किया हुआ है। जिसके आधार पर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर घरूबंटवारा के मुताबिक घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जबावदावा प्रस्तुत किया गया जिसमे वादपत्र डिक्री किये जाने बाबत सहमति दी गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रेस्पो0/वादी का दावा डिक्री किया गया। जो सही है। अपीलाधीन निर्णय सहमति के आधार पर डिक्री किया गया है तथा सहमति व राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पोषनीय नही है। इसलिए अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2015 पेज 671 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद

अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया है कि राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है। विवादित पैतृक भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण ही हकदार है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा किया जाकर विवादित भूमि का काश्त की सहूलियत से बंटवारा किया है उसी के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। वादीगण के कथन को प्रतिवादीगण ने न्यायालय मे उपस्थित होकर स्वीकार किया है तथा निवेदन किया है कि वादीगण के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। जबकि अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट/प्रतिवादी धर्मसिह उर्फ गुरमेलसिंह पुत्र गुरदेवसिंह वादपत्र मे पक्षकार था परन्तु अपीलांट का वादपत्र के संबधं मे कोई सम्मन/नोटिस प्राप्त नही हुये और ना ही अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित था और ना ही अपीलांट ने कोई जवाबदावा/सहमति प्रस्तुत की है। रेस्पो0 ने फर्जी तरीके से अपीलांट के हस्ताक्षर जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दावा डिक्री करवाया है।

7. उक्त वादपत्र मे प्रस्तुत जवाबदावा के संबंध मे रेस्पो0 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर सं0 22/15 दिनांक 02.03.2015 मे आरोप लगाया गया है कि वादपत्र मे जवाबदावा व वकालतनामा पेश किया गया उस पर प्रार्थी धर्मसिंह उर्फ गुरमेलसिंह के फर्जी हस्ताक्षर किये जाकर डिक्री अपने नाम करवाई गयी है। जिसमे पुलिस जांच के पश्चात निष्कर्षतः यह पाया गया कि उक्त दस्तावेजो पर धर्मसिंह उर्फ गुरमेलसिंह के नाम से हस्ताक्षर नही किये गये है। अन्य पक्षकारो के हस्ताक्षर अपने अपने किये हुए है तथा अपीलांट वादपत्र के जवाबदावा प्रस्तुत होने एवं वादपत्र के डिक्री के दौरान भारत नही था। इस प्रकार पुलिस अनुसंधान एवं संलग्न दस्तावेजो पासपोर्ट आदि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे दावा/जवाबदावा की अवधि मे अपीलांट की उपस्थिति भारत में नही थी। उक्त तथ्य से प्रथम दृष्टयां यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न इकबाल जवाबदावा पर अपीलांट के हस्ताक्षर सहमति स्वरूप नही किए गए है। उक्त राजीनामा प्रथम दृष्टयां कूटरचित/संदिग्ध होने के कारण उसके आधार पर पारित की गई डिक्री विधिपूर्ण एवं नियमानुसार नही है जिसकी पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 49/2012/223 आरटीए

धर्मसिंह उर्फ गुरमेलसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख (प्रवासी भारतीय) वर्तमान आदि Ammerudhillinga No. 41, House No. 31, 0959, OSLO, NORWAY, वर्तमान अस्थाई प्रवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. जसवीर कौर पत्नि गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लखवीर सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. नगेन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

   ––असल रेस्पो0/वादीगण
4. गुरदेवसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. हरजिन्द्रसिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. परमजीत कौर पत्नि गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. अमनदीप सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

8. हरप्रीत सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. बलजीत कौर पत्नि बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. प्रतापसिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व 8

11. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 252/2010 अनवानी जसवीर कौर बनाम गुरदेवसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4, श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ